खेमराज

देवकरण

टीकम

APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा केम्प कोर्ट सरेरी

मोहन

रामचन्द्र पिता राजू बैरवा
निवासी– सरेरी

रामचंद्र

बनाम मोहन पिता राजू बेरवा वगैरा
निवासी– सरेरी

किस्म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 53 रा.टी. ए. प्रकरण संख्या– 47/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
सूरता 28.05.2018	प्रत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट सरेरी पर पेश हुई, वादी रामचन्द्र , व उनके अधिवक्ता श्री ललित धनोपिया तथा प्रतिवादी मोहन, खेमराज, टीकम, देवकरण , सूरता उपस्थित हुये । वकील वादी के द्वारा कथन किया गया कि मामला मात्र भूमि विभाजन का है आराजी मुतदाविया वादीगण व प्रतिवादीगण की सयुक्त खातेदारी कब्जेकाश्त की आराजीयात है । आराजी मुतदाविया सयुक्त खातेदारी काब्जे काश्त की होने से पक्षकारान को फसल काश्त करनें, फसल काटनें, तथा लगान जमा करानें में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है । तथा वादी अपने हिस्से की तरक्की कराना चाहता है । इसलिये वादी उक्त आराजीयात का माफिक हिस्सा अच्छी से अच्छी व बूरी से बूरी का विभाजन करवाना चाहता है । अन्त में कथन किया कि दावा वादी लोक अदालत की भावना से स्वीकार फरमाया जाकर माफिक हक हिस्से के अनुसार अच्छी से अच्छी व बूरी से बूरी भूमि का विभाजन किये जाने के आदेश फरमावें । उपस्थित प्रतिवादीगण के द्वारा भी माफिक हक हिस्से के अनुसार भूमि विभाजन किये जाने में अपनी सहमति वक्त की गयी। मैने उभय पक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्नानुसार रहा है । वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 मौजा सरेरी तहसील हुरडा के अनुसार आराजी नं.– 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025 किता रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा भूमि रामचन्द्र , मोहन पिता राजू , बदाम देवी, प्रेम देवी पुत्री राजू , खेमराज, टिकम , पिता श्रवण, काली देवी पुत्री श्रवण कमलोदवी पत्नि श्रवण , अर्जुन , मदन, काना, पिता उदा , छोटू पिता उदा, ना.बा. ब.बि. माता मांगी, व मांगी बेवा उदा 1/2, छोगा , भोला, चतरा पिता कालु 3/10 , देवकरण मुतबन्ना छगना 1/10 , प्रेमदेवी पत्नि मदन 1/10 चमार साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है ।	

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

	विरासत से चतरा पिता कालु के बजाय सरोज, लक्ष्मी, सुन्दर, भागचन्द्र ना.बा. पिता सत्यनारायण संरक्षक माता सूरता व सूरता पत्नि सत्यनारायण का नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा नामन्तकरण संख्या– 1801 दिनांक 20.12.2017 हक त्याग से कालीदेवी पुत्री श्रवण कमलादेवी पत्नि श्रवण के बजाय खेमराज, टिकम, पिता श्रवण, का नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा नामान्तकरण संख्या– 1802 दिनांक 20.12.2017 हक त्याग से बदाम देवी, प्रेम देवी पुत्री राजू के बजाय रामचन्द्र, मोहन, पिता राजू, खेमराज, टिकम पिता श्रवण का नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा नामान्तकरण संख्या– 1821 दिनांक 07.03.2018 विरासत से अर्जुन पिता उदा के बजाय मीरा, पानी, सीमा, लाली, पुत्री अर्जुन रुपी पत्नि अर्जुन का नाम दर्ज रिकार्ड आना तथा नामान्तकरण संख्या– 1824 दिनांक 07.03.2018 विरासत से छोगा पिता कालु के बजाय रामलाल, रामदेव, गोविन्द पिता छोगा, नन्दु , कमला, पुत्री छोगा, राजी पत्नि छोगा, पप्पू पिता गोपाल, भगवती लाल, हनुमान, सुरेश पिता रतन मन्जू, रोशनी पुत्री रतन , शान्ति पत्नि रतन का नाम दर्ज रिकार्ड आना प्रकट आया है । यहाँ वादी आराजीयात संयुक्त खातेदार कब्जेकाश्त की होने से भूमि का माफिक हक हिस्से के अनुसार भूमि का विभाजन चाहा गया है उपस्थित प्रतिवादीगण ने भी माफिक हक हिस्से के अनुसार भूमि का विभाजन किये जाने से कोई आपति जाहिर नही की गयी, चूँकि आराजी मुतदाविया के वादी खातेदार का काश्तकार है और खातेदार को अपनी भूमि का विभजान करनवानें के पूर्ण विधिक अधिकार होने से दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है । ::–निर्णय::– दावा वादी लोक अदालत की भावना से प्राथमिक डिक्री किया जाकर मौजा सरेरी तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 1016 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025 किता 10 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा भूमि के खातेदार काश्तकारान के मध्य उनके हक हिस्से से अनुसार अच्छी से अच्छी व बूरी से बूरी भूमि व लगान विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार हुरडा को निर्देश दिये जाते है कि वह आज ही भूमि व लगान का विभजान किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मय लगान फाटनी प्रस्तुत करें । निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को खुली लोक अदालत में सुना गया । (नन्दकिशोर राजोरा) सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा
28.05.2018	तहसीलदार हुरडा के द्वारा जरिये पत्र कमांक राजस्व/ 2018/34 दिनांक 28.05.2018 से विभाजन प्रस्ताव किये जाने पर पत्रावली आज पुनः प्रस्तुत हुई, वादी व प्रतिवादीगण उपस्थित है । तहसीलदार हुरडा के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का विवरण निम्नानुसार है–

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

1– रामचन्द्र, मोहन पिता राजू , खेमराज , टिकम, पिता श्रवण, 1/2, मदन, काना पिता उदा, छोटू पिता उदा, ना.बा. बेबिलीयत माता मांगी, मांगी बेवा उदा, मीरा, पानी, सीमा, काली, पुत्री अर्जुन, रुपी पत्नि अर्जुन, 1/2 बैरवा , साकिन देह खातेदार रहन बी.औ.बी. सरेरी हिस्सा उदा का–

मोजा	आराजी नम्बर–	रकबा	लगान
सरेरी	1016/1	00 बीघा 01 बिस्वा	
	1018/1	00 बीघा 03 बिस्वा	
	1019/1	00 बीघा 02 बिस्वा	गे.मू. चाह
	1020	00 बीघा 05 बिस्वा	0.56/–
कुल किता 4 रकबा		00 बीघा 11 बिस्वा	

2– रामलाल , रामदेव, गोविन्द पिता छोगा, नन्दू, कमला, पुत्रीया छोगा, पप्पू पिता गोपाल , भगवतीलाल, हनुमान, सुरेश पिता रतन, मन्जु, रोशनी, पुत्री रतन शान्ति पत्नि रतन, राजी पत्नि छोगा, हिस्सा 1/5, भोला पिता कालु हिस्सा 1/5 सरोज ना.बा. लक्ष्मी ना.बा. सुन्दर ना.बा. भागचन्द ना.बा. पिता सत्यनारायण बे.बि. माता सूरता व सूरता पत्नि सत्यनारायण बैरवा हिस्सा 1/5 देवकरण मु0 छगना 1/5 प्रेम देवी पत्नि मदन बैरवा हिस्सा 1/5 सा. देह खातेदार रहन बी.ओ.बी. सरेरी हिस्सा सरोज वगैराह का –

मोजा	आराजी नम्बर–	रकबा	लगान
सरेरी	1017	04 बीघा 05 बिस्वा	
	1022	01 बीघा 09 बिस्वा	
	1023	00 बीघा 10 बिस्वा	गें.मू. खण्डा
	1024	01 बीघा 16 बिस्वा	
	1025	01 बीघा 09 बिस्वा	
कुल किता 5 रकबा		09 बीघा 09 बिस्वा	7.55/–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3– रामचन्द्र, मोहन, पिता राजू खेमराज, टीकम पिता श्रवण बैरवा साहिन देह खातेदार :–

मोजा	आराजी नम्बर–	रकबा	लगान
सरेरी	1016/3	02 बीघा 08 बिस्वा	
	1018/2	00 बीघा 14 बिस्वा	
	1019/2	01 बीघा 07 बिस्वा	
कुल किता 3 रकबा		04 बीघा 09 बिस्वा	5.74

4– मदन, काना, पिता उदा, छोटू ना.बा.बे.बि. संरक्षक माता मागी व मांगी बेवा उदा , मीरा, पानी, सीमा, काली, पुत्री अर्जुन, रुपी, पत्नि अर्जुन बैरवा सा0 दहे खातेदार रहन बी.ओ.बी. सरेरी हिस्सा उदा का –

मोजा	आराजी नम्बर–	रकबा	लगान
सरेरी	1016/2	01 बीघा 15 बिस्वा	
	1017/1	00 बीघा 07 बिस्वा	
	1021	02 बीघा 07 बिस्वा	
कुल किता 3 रकबा		04 बीघा 09 बिस्वा	6.19

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव पर वादी तथा उपस्थित प्रतिवादीगण को सूना गया वक्त बहस वादी ने कथन किया कि तहसीलदार हुरडा के द्वारा जो प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया हे वह मुताबिक निर्णय अनुसार तेयार किया गया है । जो स्वीकार फरमाया जावें । उपस्थित प्रतिवादी के द्वारा भी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करना जाहिर किया है ।

मैंने भी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया । तद्नुसार तहसीलदार हुरडा से उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है । तथा इसी अनुरुप प्रकरण में अंतिम डिकी पर्चा तैयार किये जाने के आदेश दिये जाते है । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । आदेश आज दिनांक 28.05.2018 को खुली लोक अदालत केम्प कोर्ट सरेरी पर सुना गया

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner